AGREEMENT

INDIA NON JUDICIAL

Government of Uttar Pradesh

e-Stamp

सत्यमेव जयते

Certificate No.	: IN-UP49928176427649T
Certificate Issued Date	: 18-Mar-2021 05:11 PM
Account Reference	: NEWIMPACC (SV)/ up14316004/ AYODHAYA SADAR/ UP-FZB
Unique Doc. Reference	: SUBIN-UPUP14316004871666627350577
Purchased by	: SHRI RAM JANM BHOOMI TIRATH KHSETRA
Description of Document	: Article 5 Agreement or Memorandum of an agreement
Property Description	: MAUJA-BAGBIJAISI PAR-HAVELI AWADH TEH-SADAR DISTT-AYODHYA
Consideration Price (Rs.)	:
First Party	: SULTAN ANSARI SO IRFAN ANSARI
Second Party	: SHRI RAM JANM BHOOMI TIRATH KHSETRA
Stamp Duty Paid By	: SHRI RAM JANM BHOOMI TIRATH KHSETRA
Stamp Duty Amount(Rs.)	: 1,29,49,860 (One Crore Twenty Nine Lakh Forty Nine Thousand Eight Hundred And Sixty only)

E-Stamp Verify

E-Stamp LOCKED

....Please write or type below this line...

रविमोहन तिवारी

रविमोहन तिवारी

0001685003

Sultan Ansari

Sultan Ansari

सुनील कुमार

Scanned with CamScanner

TEN RUPEES

Rs.10

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

28AE 567813

Sultan Ansari

<u>लेखपत्र का संक्षिप्त विवरण</u>

लेखपत्र का प्रकार – इकरारनामा ब.कब्ज़ा

निष्पादन दिनांक – 18-3-202

निष्पादन स्थान -उपनिबंधक कार्यालय सदर अयोध्या

तयशुदा रकम – 18,50,00,000/- मालियत – 5,79,84,000/-

स्टाम्प- 1,29,50,000/- पेशगी -17,00,00,000/-

Sultan Ansari रविमोहन तिवारी

Sultan Ansari

रवि मोहन तिवारी

INDIA NON JUDICIAL

TEN RUPEES

Rs.10

INDIA

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

28AE 5878 4

1.भूमि की अवस्थिति (नगरीय/ अर्द्धनगरीय/ विकासशील/ ग्रामीण)-

नगरीय

2.सम्पत्ति का प्रकार (कृषि/ आवासीय/ व्यवसायिक)- आवासीय प्लांट

3.स्थिति ग्राम – बाग बिजैसी

4.परगना – हवेली अवध

5.तहसील – सदर

6.जिला – अयोध्या (फैजाबाद)

7.सम्पत्ति का विवरण व गाटा संख्या – 243,244,246

Sultan Anjum

Sultan Anjum

रविमोहन तिवारी

रविमोहन तिवारी

पक्षकार के हस्ताक्षर

गवाह नं

Scanned with CamScanner

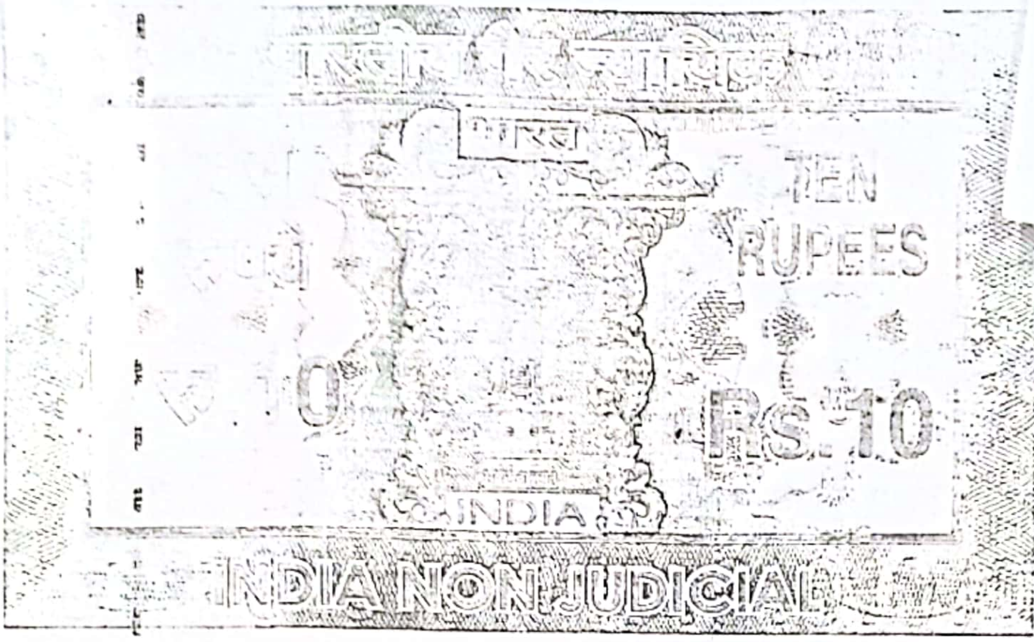

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

28AE 587815

8. खाता संख्या

9. गाटा संख्या यूनीक आई डी.नम्बर- नहीं.

10.मापन इकाई – वर्ग मीटर

11.विकृति सम्पत्ति का क्षेत्रफल – 12080 वर्ग मीटर यानी 1.208 हेक्टेयर

12.सेगमेंट रोड/सड़क/खडंजा/चकमार्ग/ की स्थिति (परिशिष्ट के अनुसार) – कोई मार्ग नहीं

13.अन्य विवरण (9 मीटर रोड कार्नर इत्यादि) – नहीं

Sultan Ansari, रविमोहन तिवारी

Sultan Ansari, रविमोहन तिवारी

पढ़ने वाला..........

सुनने वाला..........

Scanned with CamScanner

INDIA NON JUDICIAL
INDIA
RUPEES
Rs.10
उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH
28AE 58/816

14.सम्पत्ति का कुल क्षेत्रफल (बहुमंजिला भवन की स्थिति) - नहीं.

15.कुल आच्छादित क्षेत्रफल – नहीं

16.स्थिति (फिनिस्ड/ सेमीफिनिस्ड/अन्य) – नहीं

17.पेड़ों का मूल्यांकन – नहीं

18.बोरिंग,कुंआ, अन्य – नहीं

19.निर्मित क्षेत्रफल – नहीं

20.निर्माण का वर्ष – नहीं

21.सहकारी आवास समिति के सदस्य से सम्बन्धित है – नहीं

Sultan Ansari   रविप्रमोद तिवारी

Sultan Ansari   रवि प्रमोद तिवारी

पहने वाला.................
सुनने वाला.................

Scanned with CamScanner

INDIA NON JUDICIAL
भारत
TEN RUPEES
Rs.10
INDIA
उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH 28AE 587817

22.विक्रीत सम्पत्ति अन्तरण से सम्बन्धित किसी न्यायालय से स्थगन, आदेश नहीं है - नहीं

23.अकृषक भूमि की दशा में 50 मीटर त्रिज्या में व्यवसायिक गतिदिधियां है कि नहीं – नहीं

24.कृषक भूमि की दशा में 200 मीटर त्रिज्या में आवासीय/व्यवसायिक गतिविधियां है या नहीं – नहीं

25.विक्रेता अनुसूचितजाति /जनजाति का है या नहीं – नहीं

26.विक्रीत सम्पत्ति नगर निगम के अन्दर है या बाहर –अन्दर

27.विक्रीत भूमि इम्प्रूवमेन्ट ट्रस्ट के अन्दर है या बाहर – अन्दर

Sultan Ansari रविमोहन तिवारी
Sultan Ansari रविमोहन तिवारी

पहले वाला
दूसरा वाला

Scanned with CamScanner

TEN RUPEES

Rs. 10

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH 28AE 587818

28.जिलाधिकारी महोदय द्वारा जारी मूल्यांकन सूची प्रभावी दिनांक 01/08/2017 के पृष्ठ संख्या ग्राम कोड कालम 2 में निर्धारित दर रुपया – 4800/- वर्ग मीटर X 12080 = 5,79,84,000/-

<u>प्रथम पक्ष निम्नवत अभिकथन करता है</u> -;

क-उक्त सम्पत्ति प्रथम पक्ष के पूर्ण रूप से कब्जे एव स्वामित्व में है जिस पर कोई ऋण कर एवं अन्य प्रभार बकाया नहीं है और न ही किसी अदालती कार्यवाही में विवादास्पद है। ख- प्रथम पक्ष ने इससे पूर्व उक्त भूमि को किसी अन्य को विक्रय, दान, बंधक या अन्य प्रकार से हस्तांतरित नही किया है। ग- प्रथम पक्ष को विक्रय करने का पूर्ण अधिकार है। घ- विक्रीत भूमि पर कब्जा द्वितीय पक्ष को दे दिया गया है। ङ.- विक्रीत भूमि सभी प्रकार के भारों और प्रभारों से मुक्त है। इस विक्रय पत्र के दिनांक से पूर्व समस्त प्रभारों का दायित्व प्रथम पक्ष का तथा भविष्य में उत्पन्न प्रभार का दायित्व दितीय पक्ष का होगा। भूमि स्वामित्व सम्बन्धी त्रुटि के लिए प्रथम पक्ष उत्तरदायी होगा। च- इस विक्रय पत्र के निष्पादन की तिथि से भूमि का स्वानित्व द्वितीय पक्ष में निहित हो गया है एवं वह स्वयं, उसका उत्तराधिकारी, वारिस इसका उपयोग एवं उपभोग अपनी इच्छानुसार कर सकेंगे, जिसमें प्रथम पक्ष,उसके उत्तराधिकारी एवं वारिस किसी प्रकार की बाधा नहीं डालेंगे। छ- इस विक्रय पत्र की निष्पादन की तिथि से द्वितीय पक्ष किसी को भी हस्तान्तरित करने एवं इच्छानुसार उपयोग एवं उपभोग करने के लिए स्वतंत्र है।

Sultan Ansari रविमोहन तिवारी

Sultan Ansari रविमोहन तिवारी

Scanned with CamScanner

भारत

TEN RUPEES

Rs.10

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH 28AE 587819

<u>द्वितीय पक्ष अभिकथन करता है कि</u> -; द्वितीय पक्ष ने उक्त अचल सम्पत्ति पर प्रथम पक्ष के स्वामित्व/मालिकाना हक़ के सम्बन्ध में सभी आवश्यक परीक्षण कर लिया है और वह उक्त अचल सम्पत्ति पर प्रथम पक्ष के स्वामित्व/मालिकाना हक़ के सम्बन्ध में पूर्णतः संतुष्ट है।

1) अंतरित भूमि / गाटा संख्या महायोजना में प्रस्तावित उपयोग, पार्क, हरित पट्टिका आदि में सार्वजनिक महत्व के प्रकृति का नहीं है।

2) अंतरित भूमि / गाटा संख्या उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद, विकास प्राधिकरण, पर्यटन विभाग अथवा अन्य किसी शासकीय विभाग के अंतर्गत अधिग्रहण के प्रक्रिया से मुक्त / बाहर है।

3) महायोजना के विरुद्ध निर्माण किए जाने की दशा में अथवा उपरोक्त तथ्यों के विपरीत कोई भी तथ्य पाए जाने पर ध्वस्तीकरण सहित समस्त विधिक कार्यवाही हेतु क्रेता उत्तरदायी होगा।

<u>चौहद्दी</u> -

<u>पूरब</u> – भूमि विक्रेता

<u>पश्चिम</u> – बाग राम करण आदि

<u>उत्तर</u> – परती नज़ूल

Sultan Ansari रविमोहन तिवारी

Sultan Ansari रविमोहन तिवारी

साक्षी.....................

साक्षी.....................

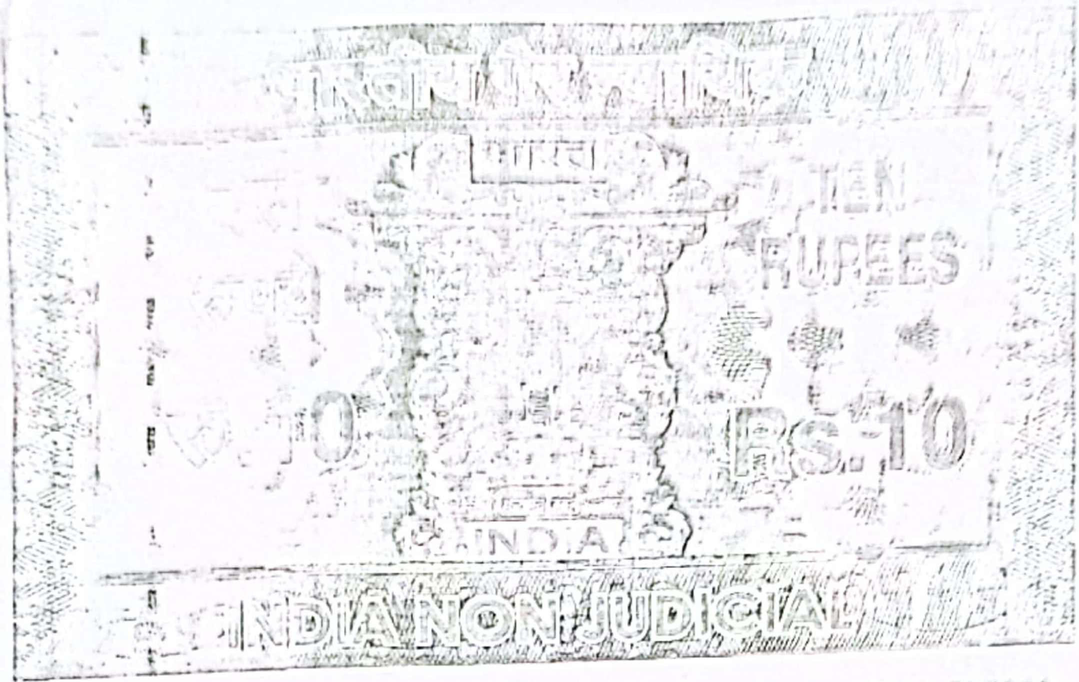

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

28AE 587920

दक्षिण – तिलैया नाला

प्रथम पक्ष की संख्या – 2

द्वितीय पक्ष की संख्या – 1

नाम प्रथम पक्ष (विक्रेता) – सुल्तान अंसारी पुत्र इरफ़ान अंसारी निवासी सूटहटी कटरा जिला अयोध्या विक्रेता ;

मो न.6393527775 पैन न.ARDFA0360P

2-रवि मोहन तिवारी पुत्र श्री सीतापति तिवारी निवासी जयसिंह पुर सीताकुंड जिला अयोध्या मो.न.9453659006 पैन

भारतीय गैर न्यायिक

भारत

TEN RUPEES

रुपये

रु. 10 Rs.10

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

28AE 587821

नाम द्वितीय पक्ष – श्री राम जन्म भूमि तीर्थ क्षेत्र द्वारा महामंत्री श्री चम्पत राय पुत्र स्व श्री रामेश्वर प्रसाद निवासी राम कचेहरी रामकोट जिला अयोध्या पैन AAZTS6197B मो.न.9811119040

जो कि निम्नलिखित जायदाद जो अन्दर हद इम्प्रूव मेंन्ट ट्रस्ट है तथा नगर पालिका सीमा के अन्दर है और आज तक प्रत्येक विवाद व भार से मुक्त है के प्रथम पक्ष तनहा मालिक व काबिज हैं प्रथम पक्ष को अपना निम्नलिखित जायदाद बेचना है जिसके बेचने का सौदा प्रथम पक्ष ने द्वितीय पक्ष से मुब.18,50,00,000/- अट्ठारह करोड़ पचास लाख रुपये में तय किया है तथा कुल तयशुदा रकम मुब.18,50,00,000/- में से मुब.17,00,00,000/- सत्रह करोड़ रुपया

Sultan Ansari

Sultan Ansari

रविमोहन तिवारी

रविमोहन तिवारी

चम्पतराय

चम्पतराय

पढ़ी/बाचा..........

सुनने वाला..........

INDIA NON JUDICIAL

TEN RUPEES Rs.10

INDIA

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH 28AE 587822

प्रथम पक्ष ने द्वितीय पक्ष से बतौर बयाना ज़रिये आर टी जी एस प्राप्त किया आज कि तारीख़ से अन्दर अर्सा 1 (एक) माह में जब भी द्वितीय पक्ष चाहेंगे प्रथम पक्ष अपने उक्त आराजी का जाप्ता से बैनामा वहक द्वितीय पक्ष मुब.18,50,00,000/- में तहरीर करके रजिस्ट्री करा देंगे और शेष रकम मुब.1,50.00,000/- एक करोड़ पचास लाख रुपया बरवक्त तहरीर बैनामा द्वितीय पक्ष से प्रथम पक्ष लेंगे यदि प्रथम पक्ष शरायत बाला की पाबन्दी में कुछ हीला हवाला करें तो द्वितीय पक्ष को हक़ होगा कि वह शेष रकम मुब.1,50,00,000/- अदालत मजाज़ में जमा करके जरिये अदालत प्रथम पक्ष के उक्त आराजी का जाप्ता से बैनामा मुब.18,50,00,000/-पर अपने नाम तहरीर करा लेवें इसमें

Sultan Ansari
Sultan Ansari

रविमोहन तिवारी
रविमोहन तिवारी

पढ़ने वाला.......
सुनने वाला.......

भारतीय गैर न्यायिक

भारत

TEN RUPEES

Rs.10

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

28AE 687823

प्रथम पक्ष को कुछ उज्र न होगा जायदाद बयानाशुदा पर प्रथम पक्ष ने द्वितीय पक्ष को आज से ही कब्ज़ा व दखल दे दिया है द्वतीय पक्ष को अधिकार है कि वह जायदाद बयानाशुदा पर काविज रहकर उसे अपनी इच्छा नुसार अपने प्रयोग में लावें अतः यह बयानानामा बाकब्ज़ा लिख दिया कि सनद रहे और वक्त पर काम आवें। तफसील जायदाद मुबइया मजकूर वाके मौजा बाग बिजैसी परगना हवेली अवध तहसील सदर जिला अयोध्या गाटा नम्बर 243/0.367 हे. 244/0.4050 हे. सम्पूर्ण व 246/0.5250 हे.में से 0.4360 हे. कुल क्षेत्रफल=1.2080 हैक्टेयर यानी 12080 वर्ग मीटर वर्ग मीटर हस्ब चौहद्दी मजकूर प्रथम पक्ष ने द्वितीय पक्ष के हाथ बेचने का सौदा किया है विक्रेता अनुसूचित

Sultan Ansari

Sultan Ansari

रविमोहन तिवारी

रविमोहन तिवारी

[signature]

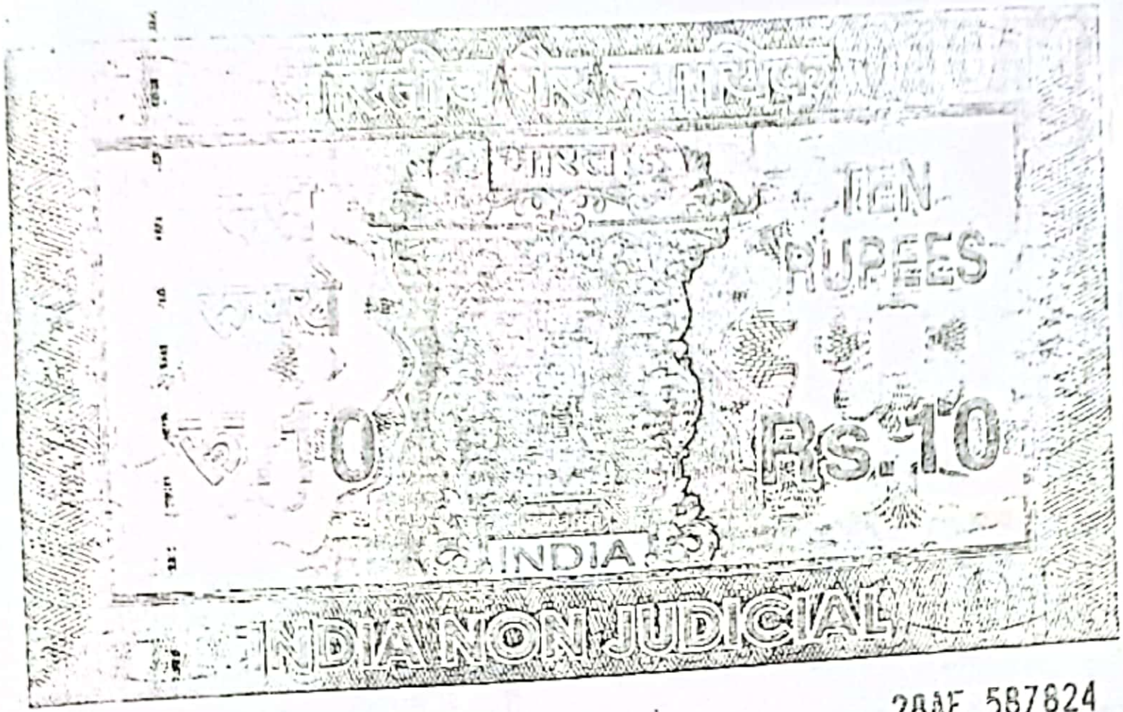

28AE 587824

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

जाति के नहीं हैं घोषित दर से उपरोक्त अनुसार मालियत मुब0 5,79,84,000/- होती है जिस पर मुब. ,29,50,000/- का स्टाम्प अदा है। ऐसे सभी तत्व जो स्टाम्प देयता को प्रभावित कर सकते है सत्यता पूर्वक अंकित है। तफसील वसूलयावी जरसमन मुब.17,00,00,000 /-जरिये आर टी जी एस यू टी आर न. प्रथम पक्ष ने प्राप्त किया

गवाह न.1

सचिन्द्र कुमार उपाध्याय S/o
नरेन्द्र दत्त उपाध्याय
जयसिंहपुर सीताकुण्ड
अयोध्या

Sultan Ansari रविमोहन तिवारी

Sultan Ansari रविमोहन तिवारी

पढ़ने वाला.............

सुनने वाला.............

19/3/21 2490 19

[illegible]

2490

आवेदन सं०: 2021009[illegible]

विक्रय अनुबंध विलेख (कब्जा)

बही सं०: 1 | रजिस्ट्रेशन सं०: 3234 | वर्ष: 2021

प्रतिफल- 185000000 स्टाम्प शुल्क- 12950000 बाजारी मूल्य - 57984000 पंजीकरण शुल्क - 1850000 प्रतिलिपिकरण शुल्क - 80 योग : 1850080

श्री श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र द्वारा
चम्पत राय अधिकृत पदाधिकारी प्रतिनिधि,
पुत्र श्री स्व रामेश्वर प्रसाद
व्यवसाय : अन्य
निवासी: राम कचेहरी रामकोट जिला अयोध्या

श्री. श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र द्वारा चम्पत राय अधिकृत पदाधिकारी प्रतिनिधि
ने यह लेखपत्र इस कार्यालय मे दिनाँक 18/03/2021 एवं 07:15:44 PM बजे निबंधन हेतु पेश किया।

रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के हस्ताक्षर

एस० बी० सिंह
उप निबंधक सदर
अयोध्या
18/03/2021

राधेश्याम
निबंधक लिपिक

Scanned with CamScanner

बही सं० 1

रजिस्ट्रेशन सं० 3234

वर्ष 2021

निष्पादन लेखपत्र वाद सुनने व समझने मजमुन व प्राप्त धनराशि र प्रलेखानुसार उक्त

विक्रेता: 1

श्री सुल्तान अंसारी, पुत्र श्री इरफान अंसारी

निवासी: सुल्तानी कटरा जिला अयोध्या

व्यवसाय: अन्य

विक्रेता: 2 Sultan Ansari

श्री राधे मोहन तिवारी, पुत्र श्री सीतापति तिवारी

निवासी: जयसिंहपुर सीताकुण्ड जिला अयोध्या

व्यवसाय: अन्य

क्रेता: 1 राधेमोहन तिवारी

श्री श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के द्वारा चम्पत राय,

पुत्र श्री स्व रामेश्वर प्रसाद

तिथि 21 ... 21/9/21

निवासी: ... जिला अयोध्या

व्यवसाय: अन्य

... ने की । जिनकी पहचान

पहचानकर्ता: 1

श्री ऋषिकेश उपाध्याय, पुत्र श्री लम्बोदर उपाध्याय

निवासी: जयसिंहपुर सीताकुण्ड जिला अयोध्या

व्यवसाय: अन्य

पहचानकर्ता: 2

श्री अनिल कुमार मिश्र, पुत्र श्री बब्बन प्रसाद मिश्र

निवासी: लक्ष्मणपुरी कालोनी अमानीगंज जिला अयोध्या

व्यवसाय: अन्य

ने की । प्रत्यक्षतः भद्र साक्षियों के निशान अंगूठे नियमानुसार लिए गए है ।

टिप्पणी :

रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के हस्ताक्षर

Scanned with CamScanner

भारतीय गैर न्यायिक

TEN RUPEES

रुपये 10

Rs.10

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

28AE 587825

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

गवाह न.2

डा० अनिल कुमार मिश्रा
S/o बच्चन प्रसाद मिश्रा
9453732331

Sultan Ansari रविमोहन तिवारी
Sultan Ansari रविमोहन तिवारी पवनतिवारी

पवनतिवारी

Scanned with CamScanner

TEN RUPEES

Rs.10

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

28AE 587826

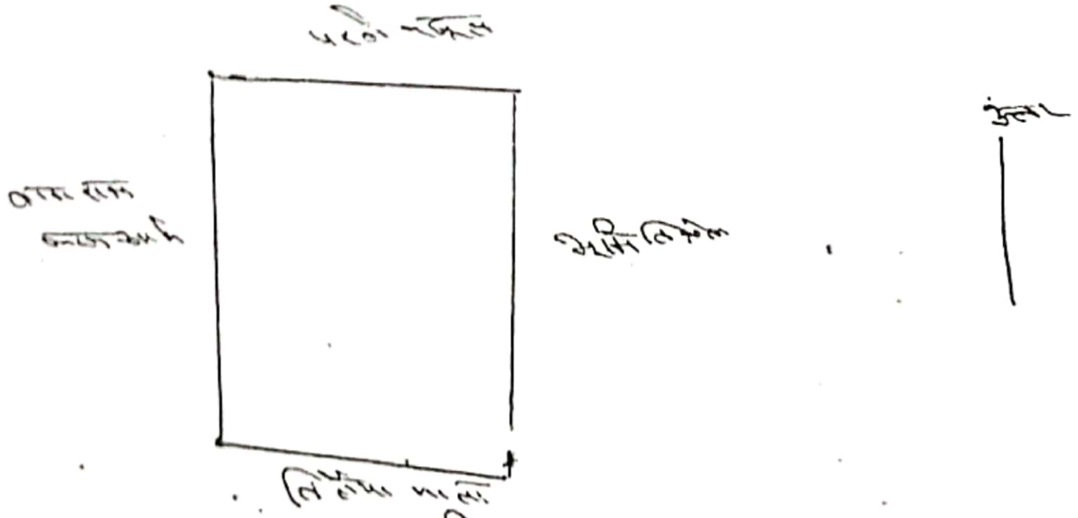

निष्पादन दिनांक 18/3/2021

31/3/2021

प्रधान सदर अयोध्या

Sultan Ansari

Sultan Ansari

आवेदन सं०: 202100905004373

बही संख्या 1 जिल्द संख्या 9105 के पृष्ठ 295 से 324 तक क्रमांक 3234 पर दिनाँक 18/03/2021 को रजिस्ट्रीकृत किया गया।

रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के हस्ताक्षर

एस० बी० सिंह
उप निबंधक : सदर
अयोध्या
18/03/2021

तिथि 18/3/21 रजि0नं0 25000 कीमत 19
नाम क्रेता
अंकित नं0 24590
स्टाम्प विक्रेता कुमार गुप्ता लाइसेंस नं0-15/167
बेचने का स्थान-उपनिबंधक कार्यालय सदर अयोध्या

Scanned with CamScanner